

सेवामें,

ग्रामीण सेवा शिबिर 2025

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सिवाना जिला बालोतरा


विषय:- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम दीवस की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 359 में मेरा/हमारा नाम शंकराराम पुत्र जोगा जारि शंकी

..... दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा/हमारे शुद्ध नाम शंकरलाल परमार पुत्र जोगाराम जारि है मेवबाल है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरवाने की कृपा करावें।

  
हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक

प्रार्थी के सैलज डेटाकेअ अनुसार नाम शंकराराम पुत्र जोगा जारि शंकी का शुद्ध नाम शंकरलाल परमार पुत्र जोगाराम जारि मेवबाल किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार उपर्युक्त दुरुस्ती किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार समदड़ी

Gms - 2025/567

आदेश

क्रमांक: ग्रा.से.शि./2025/ 1883

दिनांक:- 25.11.2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी अनुसार ग्राम दीवस

की जमाबन्दी संवत् 2077

से 2080 के खाता संख्या 359 में

शंकराराम पुत्र जोगा जारि शंकी के

स्थान पर सम्मान जनक इन्द्राज

शंकरलाल परमार पुत्र जोगाराम जारि मेवबाल

करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे।



  
उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
सिवाना (बालोतरा)

